होर्डिंग्स लगाने के लिए संस्थाओं के चयन हेतु कांसेप्ट नोट
मीना कैम्पेन ''खुशियों के सपने बुनों, बाल विवाह नहीं शिक्षा चुनो''
(होर्डिंग एडवरटाइजिंग एजेंसियों के चयन हेतु)

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2019–20 में भारत सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए विभिन्न गतिविधियाँ स्वीकृत है। तत्क्रम में समुदाय को शिक्षा के प्रति जागरूक करने, बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में जन सामान्य को अवगत कराने तथा मीना मंच को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में प्रचार–प्रसार हेतु मीना कैम्पेन आयोजित किया जाना है। कैम्पेन की विषय वस्तु–''**खुशियों के सपने बुनो, बाल विवाह नहीं शिक्षा चुनो**'' है, जिसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 5 तथा 8 पास बालिकाओं के शाला त्याग की प्रवृत्ति को समाप्त करना एवं बाल विवाह की रोकथाम करना है। इस कार्यक्रम के व्यापक जागरूकता के लिए राज्य के समस्त 75 जिलों में कैम्पेन किया जायेगा। तत्क्रम में मीना कैम्पेन के क्रियान्वयन के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 में पंजीकृत/आबद्ध होर्डिंग एडवरटाइजिंग एजेंसियों को उचित प्रकिया के माध्यम से चयनित किया जाना है।

विशय वस्तु–

- कक्षा 5 तथा कक्षा 8 पास बालिकाओं के 'ााला त्याग की प्रवृत्ति को समाप्त करते हुये नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- बाल विवाह की रोकथाम करना।
- प्रेरणा प्रणाली के संबंध में जनजागरूकता फैलाना।
- लर्निंग आउटकम्स के लिये समुदाय की भागीदारी।
- मिड–डे–मील कार्यक्रम के संबंध में जनजागरूकता फैलाना।

चयन की प्रक्रिया एवं अर्हता–

- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 में पंजीकृत/आबद्ध होर्डिंग एडवरटाइजिंग एजेंसियों को आमंत्रित किया जा रहा है।
- संस्था का चयन प्रदेश के 75 जनपदों में होर्डिंग के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। होर्डिंग का साइज 20x10 फीट का होगा।
- एडवरटाइजिंग एजेंसियों को आवश्यक अभिलेख यथा– सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 3 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र, विगत 3 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर व 3 वर्षों का ऑडिटेड बैलेंस शीट, संस्था की कार्य क्षमता व विशेषज्ञता संबंधी दस्तावेज, वित्तीय दस्तावेज व अन्य अर्हता विषयक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
- दस्तावेजों के आंकलन एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से उत्कृष्ट संस्था का चयन किया जायेगा तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की दरों पर संस्थाओं को आबद्ध किया जायेगा।
- जनपदों के आवंटन का पूर्ण अधिकार समिति का होगा।
- चयन के उपरान्त संस्था को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। होर्डिंग लगाने तथा उसे 3 माह के लिये मेन्टेन करने की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी।
- संस्था द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रत्येक होर्डिंग का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। तद्नुसार अभिलेखों के परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्था को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।